रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1141] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2011/ज्येष्ठ 20, 1933
No. 1141] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2011/JYAISTHA 20, 1933

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2011

**का.आ. 1351(अ).**— जबकि केन्द्रीय सरकार ने, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 263 (अ) और दिनांक 1.10.2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2517 (अ) के तहत मैसर्स पी.बी.एल. ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रा.लि., गुड़गांव के 6 हाइड्रोलिक सस्पेंशन ट्रेलरों के संबंध में प्रति धुरी लदान, सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और आयाम में रियायत/छूट की अनुमति प्रदान की थी ।

और जबकि उड़ीसा में अपने वाहन चलाते समय, उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित विभिन्न शर्तों का अनुपालन न करने के कारण कंपनी को काली सूची में रखे जाने के लिए उड़ीसा सरकार से दिनांक 23.2.2010 को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

और इस मंत्रालय के दिनांक 25.3.2010 के पत्र द्वारा कंपनी से स्पष्टीकरण मांगे गए थे ।

और दिनांक 13.4.2010 के अपने पत्र द्वारा कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया ।

और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर दिनांक 10.6.2010 को उड़ीसा सरकार से टिप्पणियां मांगी गई थीं ।

और दिनांक 12.8.2010 को उड़ीसा सरकार ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दीं । राज्य सरकार की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.1.2009 और 1.10.2009 की उपर्युक्त अधिसूचनाओं में कंपनी को दी गई छूट वापस लेने का निर्णय लिया गया । उक्त छूटें अधिसूचना संख्या का.आ. 2662 (अ) दिनांक 28.10.2010 के तहत वापस ले ली गईं और पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात् हरियाणा सरकार से 10.11.2010 को अनुरोध किया गया था कि छूट वापस लिए जाने के बारे में अपने रिकार्ड में वे आवश्यक प्रविष्टियां कर लें । इस संप्रेषण की एक प्रति, उड़ीसा सरकार और वाहन मालिक को भी भेजी गई थी ।

और कंपनी ने अपने दिनांक 18.2.2011 के प्रतिवेदन के तहत निम्नलिखित बातें कही हैं:-

i. उड़ीसा सरकार द्वारा सत्रह (17) दिन की अवधि के बाद आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी ।

ii. उस रूट का उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए अनुमति प्राप्त की गई थी क्योंकि कतिपय सिविल कार्य उनके द्वारा किए जाने थे और अपने ग्राहक के दबाव में एक छोटा सा मार्ग परिवर्तन लिया गया क्योंकि वाहनों के लंबे संयोजन से राजमार्ग पर यातायात को असुविधा हो रही थी । इस मार्ग परिवर्तन से उड़ीसा राज्य में परेषिती को मूल्यवान उपकरणों की सुरक्षित डिलीवरी सुकर हो गई ।

iii. उड़ीसा सरकार ने इस त्रुटि को ओवरलोडिंग माना और कंपनी से 1.77 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया ।

iv. रूट के उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूल करने की बजाए उन्होंने (उड़ीसा सरकार) ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना लगाया जोकि सर्वथा अवांछित है ।

और उपर्युक्त प्रतिवेदन पर विचार करने से पहले, इसकी एक प्रति 7.3.2011 को राज्य सरकार को भेजी गई थी । तथापि, राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

और कंपनी ने दिनांक 2.6.2011 के एक अन्य संप्रेषण में भारत सरकार से निम्नलिखित आधारों पर उनकी छूट बहाल करने का अनुरोध किया है:-

i. इन धुरियों वाले वाहनों से जुड़ा उनका व्यापार ठप हो गया है ।
ii. इनसे 100 से ज्यादा लोगों की गुज़र-बसर हो रही थी ।
iii. इन धुरियों पर निवेश की गई काफी बड़ी राशि बेकार हो गई है ।
iv. कंपनियों द्वारा उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है क्योंकि इससे देश भर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रति उनके संविदात्मक दायित्व बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ।

और उड़ीसा सरकार से किसी उत्तर के अभाव में, छूट बहाल किए जाने संबंधी कंपनी के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह नोटिस किया गया है कि :-

i. उड़ीसा सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति देने में सत्रह (17) दिन के विलंब से बचा जाना

चाहिए था विशेषकर तब जबकि यह परिवहन उड़ीसा राज्य में अवसंरचना परियोजना के शीघ्र समापन के लिए आवश्यक था ।

ii. उच्चतर प्रति धुरी लदान और सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) के संबंध में वाहनों को भारत सरकार से छूट प्राप्त थी । इस प्रकार ओवरलोडिंग पर चालान जारी किए जाने का मुद्दा अनुचित प्रतीत होता है ।

iii. चालान राशि वसूल करने के पश्चात्, कंपनी को काली सूची में डालने की राज्य सरकार की सिफारिशें भी तर्कसंगत नहीं हैं ।

iv. छूट निरस्त किए जाने से 100 से ज्यादा लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और कंपनी ने देश में अवसंरचना परियोजनाओं में परिवहन को सुकर बनाने पर भारी निवेश किया है ।

और उपर्युक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.10.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2662 (अ) को रद्द करने और दिनांक 22.1.2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 263 (अ) और दिनांक 1.10.2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2517 (अ) के तहत उच्चतर प्रति धुरी लदान/सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और ट्रेलरों की अधिक चौड़ाई के लिए प्रदान की गई छूटें बहाल करने का निर्णय लिया गया है ।

[फा. सं. आरटी-11012/10/2009-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2011

**S.O. 1351(E).**— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government vide Gazette notifications No. S.O. 263 (E) dated 22nd January, 2009 and No. S.O. 2517 (E) dated 1-10-09 had allowed relaxation/exemption in per axle load, GVW and dimension in respect of six hydraulic suspension trailers of M/s P.B.L Transport Corporation Pvt. Ltd., Gurgaon.

And whereas a request dated 23-2-10 was received from Government of Orissa for black listing the Company due to non compliance of various conditions contained in the aforesaid notifications while plying their vehicles in the State of Orissa.

And the Company's explanations were sought by this Ministry vide letter dated 25-3-10.

And the Company submitted their explanation vide their letter dated 13-4-10.

And the comments of Govt. of Orissa were sought on 10-6-10 on the explanation given by the Company.

And Govt. of Orissa submitted their comments on 12-8-10. After considering the comments of the State Government, it was decided by the Government of India to withdraw the exemption granted to the Company in the aforesaid notifications dated 22-1-09 and 1-10-09. The said exemptions were withdrawn vide Notification No. S.O.2662 (E) dated 28-10-10 and the registering authority i.e. Govt. of Haryana was requested on 10-11-10 to make necessary entries in their record about withdrawal of exemption. A copy of this communications was also sent to Govt. of Orissa and the vehicle owner.

And the Company vide its representation dated 18-2-2011 submitted the following points:-

(i) Necessary permission was granted by Govt. of Orissa after a period of seventeen days.

(ii) The permitted route was not used as some civil work was required to be carried out by them and due to pressure from their customer a small diversion was taken as the long combination of vehicles was causing inconvenience to the flow of vehicular traffic on the highway. This diversion facilitated the safe delivery of the valuable equipments to the consignee in the State of Orissa.

(iii) Govt. of Orissa treated this mistake as overloading and charged the penalty of Rs.1.77 lakhs from the company.

(iv) Instead of charging penalty for violation of route, they imposed the penalty for overloading which is totally unwarranted.

And before considering the above representation a copy of the same was sent to State Govt. on 7-3-2011. However, no reply has been received from the State Government.

And the Company in another communication dated 2-6-2011 has requested Govt. of India to restore their exemption on the following grounds:-

(i) Their business in respect of these axles has come to a halt.
(ii) These axles were generating the livelihood of more than 100 people.
(iii) Huge amount invested on these axles has gone waste.

(iv) They are being penalized heavily by the Companies as this has seriously affected their contractual obligations to important projects across India.

And in the absence of any reply from Govt. of Orissa the Company's request for restoration of the exemptions, has been considered by Govt. of India and it has been noticed that:-

(i) Delay of seventeen days in grant of necessary permission by Government of Orissa should have been avoided specifically when the transportation was required for early completion of an infrastructure project in the State of Orissa.

(ii) The vehicles were having exemption from Government of India regarding higher per axle load and GVW. As such the issue of challan for overloading appears to be un-fair.

(iii) After collecting the challan amount the State Government recommendations for blacklisting the Company is also not justifiable.

(iv) The cancellation of exemption has affected the livelihood of 100 persons and the company has made the huge investment to facilitate the transportation of infrastructure projects in the country.

And considering the above points it has been decided by Government of India to cancel the Notification No. S.O. 2662 (E) dated 28-10-2010 and to restore the exemptions granted by Govt. of India for higher per axle load/GVW and excess width of the trailers vide Notifications No. S.O. 263 (E) dated 22-1-2009 and No. S.O. 2517 dated 1-10-2009.

[F. No. RT-11012/10/2009-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

2161 GI/11-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.